(b) No, Sir. The representation was duly examined and a reply was sent.

(c) In view of the above, does not arise.

दालों के लिए समर्थन मूल्य

*458. **श्री शिव कुमार मिश्र :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दालों के मूल्य घटते-बढ़ते रहते हैं जिससे किसानों को बहुत हानि होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दालों की खेती का क्षेत्र निरन्तर कम होता जा रहा है;

(ग) क्या सरकार इस बारे में समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा सीधे सरकारी ऐजेंसियों द्वारा दालों की खरीद के लिए व्यवस्था करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दलहनों के मूल्यों में से एक मौसम से दूसरे मौसम में तथा उसी मौसम में भी अन्य कृषि जिन्सों की तरह उतार-चढ़ाव आता रहता है, जोकि मांग और आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी किसानों के हितों की रक्षा करने तथा उनको नुकसान से बचाने के लिए सरकार अरहर, मूंग, उड़द और चने जैसी मुख्य दलहनों के लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

(ख) 1949-50 से 1983-84 तक की अवधि में दलहनों के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 0.33 प्रतिशत रही है।

(ग) सरकार पहले से ही मुख्य दलहनों के समर्थन मूल्य निर्धारित कर रही है तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफड), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राज्य की एजेंसियों को दलहनों की खरीद करने के निर्देश भी दे रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Working of C.P.W.D. enquiry offices in Government colonies

*459. SHRIMATI MONIKA DAS: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up a cell to watch the working of the C.P.W.D. Enquiry Offices in Government colonies in New Delhi;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what steps Government propose to take to improve the working of these C.P.W.D. Enquiry Offices?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) A cell has been created under an Executive Engineer (MIS) in New Delhi Zone to monitor the complaints of the Enquiry Offices under Parliament Works Division I & II, 'B' Division, Parliament Works Electrical Division and Electrical Division No. II. The staff employed in this cell consists of one Assistant Engineer (Civil), one UDC and one peon.

(c) Does not arise.

Rent/Hiring Committee

*460. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rent of various properties offered to Government Departments is decided by the Rent/Hiring Committee constituted under his Ministry;

(b) if so, what is the composition of the Committee functioning at Bombay; and

(c) what is the number of proposals received by the Committee during the last one year with the details of area, construction and the rent offered and fixed by the Committee?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) According to existing rules/Orders for hiring of accommodation, where the C.P.W.D. operates, it is invariably to be consulted regarding reasonableness of rent. Where the C.P.W.D. does not operate, the authority hiring the accommodation should avail of the assistance of the appropriate local Public Works Department or Rent Control Authority and obtain a certificate of reasonableness of rent from such authorities. The Ministry of Works and Housing has constituted small Committees at Delhi, Bombay, Calcutta, Simla and Nagpur for furnishing the reasonable rent certificate. The rent intimated by the Committee is only recommendatory. Final decision rests with the authority hiring the accommodation.

(b) Superintending Engineer of CPWD; Executive Engineer concerned of the CPWD and Estate Manager, Bombay.

(c) The requisite details are being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

उर्वरकों में मिलावट

†2810. **श्री सत्यपाल मलिक**: क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और सहकारी क्षेत्र में उत्पादन किए जाने वाले उर्वरकों में डीलरों द्वारा मिलावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उर्वरकों और कीटनाशकों के नमूनों के परीक्षण करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर): (क) सहकारी उर्वरक संयंत्रों में उत्पादित उर्वरक को उनके द्वारा केवल सहकारी संस्थानों को ही बेचा जाता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उत्पादन को आंशिक रूप से सहकारी समितियों और आंशिक रूप से निजी डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता है । इस प्रयोजन के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निरीक्षकों द्वारा समय समय पर नमूने लिए जाते हैं और इन नमूनों की विभिन्न उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है । जिनके नमूने घटिया/मिलावटी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है । राज्य सरकारों, जिनकी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश को लागू करने की मूलत जिम्मेदारी है, से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नमूने लेकर और अपने पास उपलब्ध गुणवत्ता नियंत्रण और प्रवर्तन अवसंरचना को सुदृढ़ बना कर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें ।

(ख) **उर्वरक**: देश में केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद सहित 44 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 71,000 नमूनों का विश्लेषण करने की है

†Previously Unstarred Question No. 1830, transferred from the 12th August, 1985.